वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजस्व अधिसूचना अनुसार)
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरणः–	
(i)	अनेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	प्रस्तावित 132/33 के0 व्ही0 उपकेन्द्र नगरी से प्रस्तावित 132/33 के0 व्ही0 उपकेन्द्र इंदागांव तक 132 के0व्ही0 डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण किया जाना स्वीकृत है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	52.50 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	मैनपुर और देवभोग तहसील के आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के निराकरण हेतु इंदागांव में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना स्वीकृत है जिसके लिए 132 के.व्ही. नगरी से इंदागांव लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इससे उस क्षेत्र में निरन्तर गुणवत्ता पूर्ण विद्युत की आपूर्ति होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा उस क्षेत्र के निवासियों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	परियोजना निर्माण से लाभ होगा।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से प्रदाय किये जाने से उस क्षेत्र में औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होंगे एवं निवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा। सिंचाई के साधन में विस्तार होने से कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	111.456 हेक्टेयर वन भूमि में 132 के.व्ही. लाईन का निर्माण हेतू वन भूमि का प्रत्यावर्तन किए जाने बाबत्।

3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	
(i)	परिवारों की संख्या	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नही)	निरंक
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षरण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (संलग्न की जाए) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है?(हाँ/नही)	शासन के द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित किया जाएगा वह छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. द्वारा पालन किया जाएगा।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	प्रस्ताव में लगाया जाएगा।

Executive Engineer
EHT (Constn.) Dn. CSPTCL RAIPUR

दिनांक

नाम साफ अक्षरों में :– सच्चिदानंद व्यास

पद का नाम :– कार्यपालन अभियंता

स्थानः– रायपुर

पता (प्रयोक्ता एजेंसी):– अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. रायपुर (छ.ग.)

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडलाधिकारी के द्वारा भरा जाये।)